न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 32/2013

प्रार्थी

श्री सीताराम पुत्र श्री चोपाजी जाति रेबारी नि. पिपेला(उपला) तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिड़ा तह. पिण्डवाडा ।
2. मृतक श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी जाति रेबारी नि. पिपेला तह. पिण्डवाडा के कानूनी उत्तराधिकारीगण।

2/1 श्री मानाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम जाति रेबारी नि. पिपेला तह. पिण्ड़वाड़ा।
2/2 श्री पीराराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम जाति रेबारी नि. पिपेला तह. पिण्ड़वाड़ा।
2/3 श्रीमती देवीबाई बेवा स्व. श्री सोनाराम जाति रेबारी नि. पिपेला तह. पिण्ड़वाड़ा।
2/4 श्रीमती रूपी पुत्री स्व. श्री सोनाराम धर्मपत्नि श्री रामारामजी जाति रेबारी नि. वासा तह. पिण्ड़वाड़ा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री पदमाराम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या सं. 1 की ओर से।
3. श्री प्रवीण कुमार शाह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी मृतक श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी के हक में पट्टा संख्या 004471 दिनांक 06.01.2005 एवं प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2004 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से श्री पदमाराम अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश कर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी संख्या दो श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब मय दस्तावेज के पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दौराने निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी की मृत्यु होने से अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 को रेकर्ड पर लिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2004 द्वारा प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि का पट्टा देने बाबत् पारित किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच जमीन पास–पास [illegible] हुई है जिसको लेकर अप्रार्थी अक्सर विवाद करता रहता है। अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के साथ मेल मिलाप कर सरकारी भूमि का विक्रय विलेख 13200 वर्गफीट का रूपये 200/– मे जारी करवा कर प्राप्त किया। उक्त पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। जिसकी पात्रता

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या–2 नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–2 को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने एवं पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है । अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है एवं वर्तमान मे भी मकान बना हुआ नही है, जो मेरे द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से सिद्ध है। पुराना कब्जा एवं मकान बना हुआ बिना किसी आधार के पंचायत ने माना है जो गलत है। पंचायत द्वारा आम चौराहा पडौसीयान नोटिस बोर्ड पर भी कोई आपत्ति नोटिस चस्पा किया है लेकिन किस तारीख को नोटिस को चस्पा किया गया है, अंकित नहीं है। पंचायत द्वारा पंचायत की बैठक मे प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिये बिना प्रार्थी की आपत्ति निरस्त की गई है। पंचायत को नुकसान करने के लिए अविकसिति दर 200/– रू. प्राप्त की है जबकि विवादित भूमि विकसित क्षेत्र मे स्थित है । अतः ग्राम पंचायत का उक्त प्रस्ताव खारिज योग्य है । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत डीएनजे (राज.) 2000 पेज 438 प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री पदमाराम द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर 13200 वर्गफीट का पट्टा राशि रूपये 200/– वसूल कर जारी किया गया है, जो नियम 157(2) के अनुसार सही है।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत रोहिड़ा की भूमि थी । जिस पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा था जिस पर पंचायत द्वारा आम बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा संख्या 004471 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो सारहीन व आधारहीन होने से खारिज के काबिल है। अन्त में निगरानी प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत अपने जबाव की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा पंचायत की आम बैठक में सर्वसम्मति से पुराना कब्जा होने के आधार पर रूपये 200/– वसूल कर नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है।

मैने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के लायक अधिवक्तागण की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉंति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅंचता हूॅं कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पुराने कब्जेशुदा भूमि/भवन का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पंचायत की बैठक मे सर्व सम्मति से लिया जाकर अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 004471 दिनांक 06.01.2005 को 13200 वर्गफीट का 200/–रूपये प्राप्त कर जारी किया गया है। नियम 157(2) [illegible] है

ऐसे परिवार, जिनके [illegible] स्थान नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्मा[illegible] तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त नियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के न[illegible]से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विचारणीय प्रकरण में जारी पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है, जिसमें नियम 157(2) की पालना नहीं की गई है। जो निम्न प्रकार है– 1. पट्टे से सम्बन्धित भूमि ग्राम पंचायत रोहिड़ा की भूमि नहीं होकर बिलानाम सरकार भूमि खसरा संख्या 2764/526 की भूमि होना पटवारी हल्का रोहिड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.07.2013 में की गई है, जिससे ग्राम पंचायत को पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। 2. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ अनुसार खाली भूखण्ड़ का पट्टा दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। 3. पट्टा 13200 वर्गफीट का जारी किया गया है। जबकि नियम 157(2) में अधिकतम 300 वर्गगज तक का पट्टा 2003 से पूर्व का कब्जा होने पर परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जा सकता है। विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या पुरूष श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी के नाम से जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध प्रतीत होता है। 3. अप्रार्थी संख्या 2 श्री सोनाराम पुत्र श्री जीपाजी के पुत्र पीराराम द्वारा पुलिस थाना रोहिड़ा में दर्ज एफआईआर नम्बर 100/2013 दिनांक 09.07.2013 में पुलिस द्वारा विवादित पट्टे की भूमि बिलानाम सरकार होने से एफ.आर. दी गई है। उपरोक्त विवेचन से नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने से ग्राम पंचायत रोहिड़ा को आर्थिक क्षति हुई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2004 के तहत जारी पट्टा संख्या 004471 दिनांक 06.01.2005 निरस्त किया जाता है। नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने के लिए तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव) के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जाँच कर कानूनी कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्ड़वाड़ा एक माह की अवधि में संपादित करें एवं विवादित भूमि से भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner